क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(आईएसओ 9001 2000 प्रमाणित), पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर 1
दूरभाष 0141 2221631, फैक्स 0141-2222047
Email : rd_rajsthan@esic.nic.in वेबसाइट www.esicrajasthan.com

नियोजक कृपया ध्यान दें

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमितों एवं आश्रित लाभार्थियों के लिए बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमितों एवं नियोजको हेतु आईटी रोल आउट को एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के बीमितों एवं उनके आश्रित लाभार्थियों हेतु **बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड** तैयार करने का कार्य अक्टूबर 09 के पहले सप्ताह से आरम्भ किया जा रहा है व प्रत्येक बीमित एवं परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए अलग–अलग **बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड मिलने तक जारी रहेगा।**

आईटी रोल आउट कार्य व **बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्डो** को तैयार करने का कार्य **मै. विप्रो को दिया** गया है जो **निर्धारित शिविरों** में बीमितो की फोटो खीचने की व्यवस्था करेगी जिसके बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रतिनिधि **व्यक्तिगत** रूप से प्रत्येक नियोजक को सूचित करेंगे।

बायोमैट्रिक कार्ड नियोजकों एवं बीमितों के लिए काफी लाभपूर्ण होंगे। बीमित व उनका परिवार एक ही बार पंजीकृत किया जाएगा व उनके पूरे सेवाकाल में यह **स्मार्ट कार्ड** वैध होगा। इस आईटी रोल आउट योजना के पश्चात् नियोजकों को कम विवरणियॉं प्रस्तुत करनी होगी। विवरणियॉं सिस्टम द्वारा आवश्यकतानुसार तैयार की जा सकेगी।

नया बीमा नम्बर सभी बीमितों के लिए एक समान **10 अंको** का होगा व नियोजकों का कोड नं. **17 अंको** का होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रतिनिधि नियोजकों से सम्पर्क करेंगे व **घोषणा पत्रों** को वितरित करेगें जिसमें कर्मचारियों/नियोजकों की नवीनतम सूचनाएं पुनः भरनी होगी। वे पूर्णरूप से भरे **घोषणा पत्रों** को वापिस भी प्राप्त करेगें। उक्त विवरण सिस्टम में डालने हेतु उपयोग किए जाएंगे व बीमितों एवं आश्रित परिवारजनों के फोटो व उंगुलियों के निशान लेने का कार्य किया जाएगा जिसमें उनके कार्य स्थल **को** प्राथमिकता दी जाएगी। यह कार्य परस्पर रूप से **सहमत** तिथि व समय पर नियोजकों **के साथ** विचार–विर्मश कर निष्पादित किया जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमितों के कल्याण हेतु इस नवीन एवं उत्तम कार्य हेतु नियोजकों एवं बीमितों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता है। नियोजकों के साथ विचार–विमर्श कर समुचित समय सूची तैयार कर मानव–समय की हानि को न्यूनतम रखा जाएगा। अतः नियोजकों से अनुरोध है कि वे अपने बीमित कर्मचारियों को इस कार्य के लिए समय दें व उन्हें सलाह दें कि वे परिवार के आश्रित सदस्यों सहित इस कार्यक्रम के तहत इस उद्‌देश्य हेतु लगाए गए शिविरों पर जाए व सहयोग प्रदान करें।

यहॉं पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बीमितों हेतु **बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड** बनाने का कार्य एक ही बार किया जाना है।

अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक